न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0)–सीकर

भूराराम बनाम भगवाना आदि

किस्म मुकदमा– प्रार्थना–पत्र 212 आरटीएक्ट

मु.नं0 87 वर्ष 2011

दिनांक	आज्ञा पत्र	
03.12.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। बहस टी0आई0 सुनी गई। प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र 212 आरटीएक्ट पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण एंव अप्रार्थी सं0 2 ता 4 की पैतृक कृषि भूमियां ख0नं0 1106, 1108, 1109, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1119, 1120, 1121, 1107 कुल किता 15 कुल रकबा 6.72 है0 ग्राम रामसिंहपुरा प0ह0 शिश्यू तहसील दांतारामगढ़, सीकर में अवस्थित है। जिसमें प्रार्थीगण एंव अप्रार्थी सं0 2 ता 4 का संयुक्त रूप से हक व हिस्सा है एंव राजस्व रिकार्ड में अंकन अनुसार ही अपने–अपने हिस्से की भूमियों पर प्रार्थीगण एंव अप्रार्थी सं0 2 ता 4 काबिज काश्त है। जिसके पुराने ख0नं0 668, 672, 674 कुल रकबा 24 बीघा 14 बिस्वा थे। प्रार्थीगण एंव अप्रार्थ सं0 2 ता 4 संयुक्त खातेदारी की भूमियों में खातेदारी के अनुसार आई हिस्से की भूमियों पर बंटवारा कर काबिज काश्त कर रहे है। खातेदार रूडी बेवा किशना का देहान्त हो चुका है इसलिए रूडी के वारिसान प्रार्थीगण सं0 6 ता 9 संयुक्त रूप से रूडी के हिस्से की भूमियों पर उत्तराधिकार व विरासत के आधार पर काबिज है। प्रार्थी सं0 7 व 9 द्वारा ख0नं0 1107 में से हिस्सा 1/10 ग्राम पंचायत शिश्यू को दान कर दिये जाने के कारण हिस्सा 1/10 का अंकन ग्राम पंचायत शिश्यू के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। गोपी का बेटा रामपाल, सुतान के गोद चला गया और सुलतान की मृत्यु होने के कारण अब सुलतान के हक व हिस्से की भूमियों पर रामपाल व श्रवणी का संयुक्त रूप से 1/8 हिस्से पर तथा पृथक–पृथक 1/16, 1/16 हिस्से पर कब्जा काश्त व हक अधिकार है। अप्रार्थी सं0 1 भगवाना जमाबंदी में वर्णित अनुसार लालू का जायन्दा पुत्र न होकर दुला निवासी नीमावास का जायन्दा पुत्र है। अप्रार्थी सं0 1 के जायन्दा पुत्र दुला का देहान्त होने पर अप्रार्थी सं0 1 की माता ने लालू से पुर्नविवाह कर लिया और अप्रार्थी सं0 1 अपनी माता के साथ ही लालू के घर पर आकर निवास करने लग गया। अप्रार्थी सं0 1 आज भी नीमावास गांव में दुला की पैतृक सम्पत्तियों पर काबिज है। इस कारण अप्रार्थीसं0 1 का इन विवादग्रस्त भूमियों को कोई लेना–देना नहीं है। इन भूमियों में अप्रार्थी सं0 2 व 3 का संयुक्त रूप से 1/4 व पृथक–पृथक1/8, 1/8 हक व ह्रिस्सा है। इन भूमियों का प्रार्थीगण एंव अप्रार्थी सं0 2 ता 3 के मध्य बाई मिट्स एंड बाउण्डस विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है इसलिए प्रार्थी सं0 7 द्वारा ग्राम पंचायत मूल वाद मैं प्रति0सं0 8 को दान में दिये गये हिस्से को समायोजित करते हुए उक्त खसरा नम्बरान का उक्त विवरण अनुसार एंव शेष प्रार्थीगण का खातेदारी में अंकित हिस्से अनुसार बाई मिट्स एंड बाउण्डस बंटवारा किया जाकर खातेदार, काश्तकार उद्घोषित करते हुए राजस्व रिकार्ड में पृथक–पृथक अंकन करते हुए जमाबंदी एंव राजस्व रिकार्ड व नक्शा आदि में इन्द्राज किया जाना उचित एंव आवश्यक है। पैरा सं0 2 में वर्णित कृषि भूमियों पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व हक अधिकार की भूमियों पर बिना विधिवत बंटवारा करवाये अप्रार्थी सं0 1 ता 3 अप्रार्थी सं0 5 से साज करके ट्यूबवेल खुदवाकर विधुत कनेक्शन लेने पर आमादा है और विधुत कनेक्शन लेने के उपरान्त प्रार्थीगण की भूमियो को अपनी भूमि होना बताकर अपने हिस्से से अधिक भूमियों को येन–केन प्रकारेण अंतरित करने पर उतारू व आमादा हो रहे है तथा अप्रार्थी सं0 4 जिसका राजस्व रिकार्ड में अकेली के 1/8 हिस्सा दर्ज है। इस कारण वह अपने दत्तक पुत्र प्रार्थी सं0 13 के 1/16 हिस्से को भी विक्रय करने पर आमादा हो रही है।	

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

प्रार्थीगण द्वारा आवेदन पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करवाने हेतु निवेदन किया है कि वे वादग्रस्त कृषि भूमियों के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि यह पैतृक जमीन है। इसके पुराने ख0नं0 674 आदि है। गोपीराम का लडका रामलाल है। यह श्रवणी के गोद चला गया था। सुलतान दत्तक पिता है। यह गोदनामा रजिस्टर्ड है। जमाबंदी में गोपीराम पुत्र रामपाल कर दिया जबकि गोपीराम पुत्र सुलतान करना चाहिए था। प्रति0सं0 1 भगवाना दुला का लडका है। दुला खत्म हो गया था और लाली ने दुबारा शादी कर ली। लालू की संपत्ति में भगवाना का हक नहीं बनता है। मौके पर जैसा है, वैसा ही रखा जावे। मेरी टी0आई0 कंफर्म की जावे। क्षति रामपाल को होनी है। यह बंटवारे का दावा है। पैतृक हिस्से में दखलदांजी न करे। यह सभी दावे में तय होना है। रिकॉर्ड की स्थिति मैंने अभी बताई है।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थीगण ने निवेदन किया कि मेरा काउन्टर आवेदन भी है। सभी खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है। रामपाल जो सुलतान का बेटा है। वह गोद गया है, दत्तक पुत्र बता रहा है। वादी सं0 13 जबकि रामपाल के पाचं बहने भी है। भगवाना प्रति0सं0 1 है। यह लालू का बेटा नहीं हैं। लालू के तीन बेटे है। इनकी मंशा बंटवारे को छुपाते हुए दखलदांजी करना चाहते है। यह न्यायालय में क्लीन हैंड से नहीं आये है। मेरे काउन्टर में कोई दखलदांजी नहीं करे। इनकी टी0आई0 खारिज करे और मेरा काउन्टर स्वीकार करे।

हमने वकील उभय पक्ष की बहस सुनी, उसपर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया, जिससे जाहिर है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र 212 आरटीएक्ट पेश करने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 07.06.11 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाकर राजस्व ग्राम रामसिंहपुरा तहसील दांतारामगढ़, सीकर की वादग्रस्त आराजी ख0नं0 1106, 1108, 1109, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118 से 1120, 1121, 1107 कुल किता 15 कुल रकबा 6.72 है0 के रिकॉर्ड की यथास्थिति की यथास्थिति कायम रखने हेतु पाबन्द किया गया था।

चूंकि प्रार्थी द्वारा वाद बाबत उद्घोषणा, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ पेश किया है, जो वर्तमान में कायमी तनकीयात में विचाराधीन चल रहा है। जिसमें बाद साक्ष्य/सबूत पेश होने पर वाद का मेरिट के आधार पर वाद में उठाये गये बिन्दूओं का निस्तारण किया जाना है। विवादग्रस्त भूमियों पर वाद विवाद बहुलता नहीं बढ़े इसलिए न्यायहित में न्यायालय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार कर मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना उचित समझता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि मूल वाद सं0 112/2011 उनवानी भूराराम बनाम भगवाना आदि के निस्तारण तक राजस्व ग्राम रामसिंहपुरा तहसील दांतारामगढ़, सीकर की वादग्रस्त आराजी ख0नं0 1106, 1108, 1109, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118 से 1120, 1121, 1107 कुल किता 15 कुल रकबा 6.72 है0 के रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखने हेतु पाबन्द किया जाता है ।पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो।

सहायक कलक्टर (म0)सीकर